झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अ धि सू च ना

म0म0स0– म0म0स0–05 / वे0भ0 संशोधन–128 / 2017 1237 / झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली, 2015 के नियम– 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

::संशोधन::

i) नियमावली के नियम–2 के उप नियम (i) में अंकित शब्द "मुख्यमंत्री" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 60,000 / – (साठ हजार)"** को **"रु0 80,000 / – (अस्सी हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

ii) नियमावली के नियम–2 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री" के पश्चात् एवं शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 50,000 / – (पचास हजार)"** को **"रु0 65,000 / – (पैसठ हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

iii) नियमावली के नियम–3 के उप नियम (i) में अंकित शब्द समूह "मुख्यमंत्री / मंत्री / राजमंत्री / उप–मंत्री" के पश्चात् एवं " मात्र प्रतिदिन" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 1,500 / – (एक हजार पांच सौ)"** को **"रु0 2,000 / – (दो हजार) मात्र"** से तथा अंकित शब्द समूह "राज्य के अन्दर एवं" के पश्चात् तथा "राज्य के बाहर प्रतिदिन" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 2,000 / – (दो हजार) मात्र"** को **"रु0 2,500 / – (दो हजार पांच सौ) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

iv) नियमावली के नियम–3 के उप नियम (iii) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है–

"हवाई / जलपोत यात्रा करने के समय मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री टिकट क्रय कर भारत में यात्रा करने के हकदार होंगे। हवाई / जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों का भुगतान तथा HOR मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा पूर्ववत् दिया जाता रहेगा।"

v) नियमावली के नियम–4 के उप नियम (i) में अंकित शब्द "मुख्यमंत्री" के पश्चात एवं "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 40,000 / – (चालीस हजार) मात्र"** को **"रु0 80,000 / – (अस्सी हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

vi) नियमावली के नियम–4 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री" के पश्चात् एवं शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 30,000 / – (तीस हजार) मात्र"** को **"रु0 80,000 / – (अस्सी हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

vii) नियमावली के नियम–5 के उप नियम (i) में अंकित शब्द "मुख्यमंत्री" के पश्चात एवं "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द **"रु0 35,000/– (पैंतीस हजार) मात्र"** को **"रु0 60,000/– (साठ हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

viii) नियमावली के नियम–5 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री" के पश्चात् एवं शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 30,000/– (तीस हजार) मात्र"** को **"रु0 45,000/– (पैंतालीस हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

ix) नियमावली के नियम–6 के उप नियम (i) में अंकित शब्द "मुख्यमंत्री" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 5,000/– (पांच हजार) मात्र"** को **"रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

x) नियमावली के नियम–6 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री" के पश्चात् एवं शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 5,000/– (पांच हजार) मात्र"** को **"रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xi) नियमावली में नियम–7 के अधीन नया उप नियम–7 (iii) को निम्नरूपेण जोड़ा जाता है :–

"मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री को रु0 40,00,000/– (चालीस लाख) मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर पर आवास ऋण की सुविधा अनुमान्य होगी।"

xii) नियमावली के नियम–8 के उप नियम (iii) में अंकित शब्द समूह "मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/ उप–मंत्री" के पश्चात् एवं "4 (चार) प्रतिशत वार्षिक व्याज" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 15,00,000/– (पंद्रह लाख) मात्र"** को **"रु0 20,00,000/– (बीस लाख) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xiii) नियमावली के नियम –8 में नया उप नियम–8 (iv) निम्नरूपेण जोड़ा जाता है :–

"मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री राशि रु0 20,00,000/– (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक क्रय कर सकेंगे।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

22/9/2017

(राजकुमार चौधरी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0भ0 संशोधन–128/2017 1237 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/ प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/ सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0भ0 संशोधन–128 / 2017 1237 / रांची, दिनांक 22.9. 2017 ई0।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0भ0 संशोधन–128 / 2017 1237 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि– प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त निर्णय से सभी माननीय विधायकगण / पूर्व विधायकगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0भ0 संशोधन–128 / 2017 1237 / रांची, दिनांक 22.9 2017 ई0।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा / डोरंडा / रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0भ0 संशोधन–128 / 2017 1237 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

झारखण्ड सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(संसदीय कार्य)

अधिसूचना

संख्या– मं०म०स०–05/विधायी सा० (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(उ०सा० संचिका) 933 /दिनांक– 19·5·2015

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम – 04, 2001) की धारा 10, झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम– 08, 2006), झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम– 07, 2008) सहपठित झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम– 16, 2011) की धारा–6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्न नियमावली बनाते हैं–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–
   - (i) यह नियमावली झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली, 2015 कहलायेगी ।
   - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   - (iii) यह नियमावली 01 जनवरी, 2015 से प्रभावी समझी जायेगी।
   - (iv) इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय एवं संदर्भ के विरूद्ध न हो,
     - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड के मंत्रियों का (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 2001,
     - (ख) "मंत्री" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 164 के अधीन राज्यपाल द्वारा उस रूप में नियुक्त व्यक्ति, इसमें राज्यमंत्री/उपमंत्री शामिल हैं,
     - (ग) "सदस्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान सभा का सदस्य,
     - (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

2. मंत्रियों का वेतन–

   मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री शपथ–ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे–
   - (i) मुख्यमंत्री– रु0 60,000/–(साठ हजार) प्रतिमाह
   - (ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री–रु0 50,000/–(पचास हजार) प्रतिमाह

   इनके वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

3. मंत्रियों का प्रभारी भत्ता:–

   मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री शपथ–ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित प्रभारी भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे–
   - (i) मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री – रु0 1,500/– (एक हजार पांच सौ) मात्र प्रतिदिन राज्य के अन्दर एवं रु0 2,000/–(दो हजार) मात्र राज्य के बाहर प्रतिदिन।
   - (ii) हवाई/ जलपोत यात्रा करने के समय मुख्यमंत्री के साथ दो सहयात्री एवं मंत्री/राज्यमंत्री/ उप–मंत्री के साथ एक सहयात्री की सुविधा अनुमान्य होगी। हवाई यात्रा/जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों का भुगतान तथा HOR मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा पूर्ववत् किया जाता रहेगा।

4. क्षेत्रीय भत्ता–

मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री शपथ–ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित क्षेत्रीय भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे–

(i) मुख्यमंत्री– रु0 40,000 / –(चालीस हजार) मात्र प्रतिमाह

(ii) मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री– रु0 30,000 / –(तीस हजार) मात्र प्रतिमाह

5. सत्कार भत्ता–

मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री शपथ–ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित सत्कार भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे–

(i) मुख्यमंत्री– रु0 35,000 / –(पैंतीस हजार) मात्र प्रतिमाह

(ii) मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री– रु0 30,000 / –(तीस हजार) मात्र प्रतिमाह

6. चिकित्सीय भत्ताः–

मुख्यमंत्री एवं कोई मंत्री और उसके परिवार के सदस्य निम्न रूप में निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और दवाओं की आपूर्त्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे–

(i) मुख्यमंत्री– रु0 5,000 / –(पांच हजार) मात्र प्रतिमाह, निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और दवाओं की आपूर्त्ति,

(ii) मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री– रु0 5,000 / –(पांच हजार) मात्र प्रतिमाह, निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और दवाओं की आपूर्त्ति।

7. मंत्रियों का आवास–

(i) प्रत्येक मंत्री, रांची में अपनी पदावधि तक और उसके बाद ठीक एक माह की कालावधि तक अथवा ऐसे अन्य स्थान पर, जिसे राज्य सरकार, समय–समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, उस कालावधि के लिए, सरकार का मुख्यालय घोषित करे, जिसे उस घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, बिना किराये के सुसज्जित आवास का उपयोग करने का हकदार होगा।

(ii) ऐसे आवास के अनुरक्षण के संबंध में कोई प्रभार व्यक्तिगत रूप से मंत्री पर नहीं पड़ेगा, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

स्पष्टीकरणः– इस नियमावली के प्रयोजनार्थ " आवास" के अन्तर्गत स्टाफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी और आवास से संबंधित अनुरक्षण के अन्तर्गत स्थानीय करों एवं अन्य करों के भुगतान तथा विविध शक्ति और जल की आपूर्त्ति भी सम्मिलित है।

8. मंत्रियों को मोटर गाड़ी खरीदने हेतु अग्रिम एवं सवारी भत्ता का दिया जाना–

(i) राज्य सरकार समय–समय पर मंत्रियों के उपयोग के लिए मोटरगाड़ी खरीद सकेगी और ऐसी शर्त्तों पर उपबंध करेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे,

परन्तु यदि कोई मंत्री राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई मोटरगाड़ी नहीं रखे तो उसे उसके बदले सवारी भत्ते की ऐसी रकम और मोटरगाड़ी की खरीद के लिए प्रतिदेय अग्रिम के तौर पर ऐसी धनराशि उन निबंधनों पर दी जाएगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे, ताकि वह अपने पद के कर्त्तव्यों का सुविधा और दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सके।

(ii) कोई भी मंत्री ऐसी रियायती दर पर और ऐसी अन्य शर्तों पर, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर, नियमों द्वारा अवधारित करे, प्रभार करे, प्रभार के भुगतान पर स्टाफ कार के उपयोग करने का हकदार हो।

स्पष्टीकरणः– इस उप कंडिका के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति " स्टाफ कार" से अभिप्रेत है कार्यालय के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा खरीदा गया और अनुरक्षित कोई मोटर वाहन।

(iii) मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री को रु0 15,00,000 /– (पन्द्रह लाख) मात्र तक 4 (चार) प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर मोटर कार अग्रिम अनुमान्य होगा।

9. **नियमों की व्याख्या एवं संशोधन की शक्ति–**

(i) राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या करने तथा समय–समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।

(ii) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा तब वह 14 दिनों की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र या क्रमवर्त्ती दो सत्रों को मिलाकर हो, और उस सत्र अथवा उसके ठीक बाद होने वाले सत्र की, जिसमें वह रखा गया हो, की समाप्ति के पूर्व यदि विधान सभा, नियम में कोई उपांतरण करने हेतु सहमत हो अथवा सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह नियम, जिसके बाद यथास्थिति उस उपांतरित प्रारूप में प्रभावी होगा अथवा

कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई भी उपांतरण या वातिलीकरण उस नियम के अधीन किए गए पूर्ववर्त्ती कुछ भी की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं0म0स0–05 / विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01 / 2015(छाया सचिवा) 933 / रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव / विकास आयुक्त के सचिव / सभी अपर मुख्य सचिव / सरकार के सभी प्रधान सचिव / प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली / सरकार के सभी सचिव / सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0म0स0–05 / विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01 / 2015(छाया सचिवा) 933 / रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, रांची / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, एच. ई.सी. प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा / डोरंडा / रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं०म०स०–05/विधायी का० (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया संचिका) 933 /रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखंड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि राजपत्र की 5000 (पांच हजार) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह० 19/5/15
(एस० के० शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।